डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
Office : Mohaan Road, Lucknow - 226 017, Website : http://dsmru.up.nic.in

पत्रांक : 1477 /पत्रा.COE-31(II)/DSMNRU/परीक्षा समिति/2024–25 दिनांकः 18 नवम्बर, 2024

प्रेषक,

कुलसचिव,
डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
2. डॉ0 संजीव कुमार गुप्ता, सह आचार्य, वाणिज्य विभाग, विश्वविद्यालय।
3. डॉ0 आशीष कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य, दृष्टिबाधितार्थ विभाग, विश्वविद्यालय।
4. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. प्राचार्य, टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ।
6. प्राचार्य, हिन्द महाविद्यालय, बाराबंकी।
7. प्राचार्य, कल्याणं करोति मथुरा।

विषय : डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ परीक्षा समिति की 16वीं बैठक के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या–सी.ओ.ई.–393, दिनाँक 27.09.2024 के क्रम में विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की आयोजित 16वीं बैठक दिनाँक 30.09.2024 में लिये गये निर्णयों के कार्यवृत्त की छायाप्रति को इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि :–
1. माननीय कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
परीक्षा समिति की 16वीं बैठक दिनांक 30.09.2024 का
कार्यवृत्त

समय :	अपराह्न 04:30 बजे
स्थान :	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, पंचम तल स्थित सभागार

बिन्दु सं0	कार्यवाही
1/16	**परीक्षा समिति की 15वीं बैठक के निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के संबंध में।**
	निर्णय : परीक्षा समिति द्वारा 15वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2/16	**परीक्षा समिति की 15वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या।**
	परीक्षा समिति की 15वीं बैठक में बिन्दुवार लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही से परीक्षा समिति अवगत हुई एवं निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही के विचारोपरांत निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए गए :— **बिन्दु संख्या—02/15 — श्री पंकज कुमार, बी0ए0 पाठ्यक्रम के 2018 में उपाधि प्राप्तकर्ता द्वारा पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने के संबंध में।** **निर्णयः—** उपरोक्त प्रकरण के संबंध में परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्देश भी प्रदान किए गए कि संबंधित छात्र को भी पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए तथा परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने पर स्नातक उपाधि भी निरस्त किए जाने संबंधी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही परीक्षा समिति द्वारा संबंधित छात्र द्वारा स्नातक एवं परास्नातक की उपाधि विश्वविद्यालय में जमा कराये जाने के निर्देश भी प्रदान किए गए। उक्त के संबंध में संबंधित विद्यार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना—पत्र को पत्रावली पर प्रस्तुत करने पर प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में प्रकरण पर पुर्नविचार किये जाने हेतु 16वीं बैठक में एजेण्डा प्रस्ताव के रूप में सम्मिलित किया गया है।
3/16	**दिव्यांग विद्यार्थी श्री पंकज कुमार बी0ए0 पाठ्यक्रम के वर्ष 2018 में उपाधि प्राप्तकर्ता द्वारा पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने के सम्बन्ध मे परीक्षा समित की 14वीं बैठक में लिये गये निर्णय पर पुर्नविचार किये जाने के सम्बन्ध में।**
	परीक्षा समिति की 14वीं बैठक दिनाँक 04.11.2023 के एजेण्डा/निर्णीत बिन्दु सं0—11/14 पर दिव्यांग विद्यार्थी श्री पंकज कुमार को बी0ए0 पाठ्यक्रम के 2018 के उपाधि प्राप्तकर्ता द्वारा पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने के संबंध में परीक्षा समिति को यह अवगत कराया गया कि स्नातक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विषय को मात्र उत्तीर्ण करना अनिवार्य है तथा यह विषय शून्य क्रेडिट का है, जिससे परीक्षा परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परीक्षा समिति द्वारा उक्त दिव्यांग विद्यार्थी के प्रकरण पर सर्वप्रथम उक्त विद्यार्थी को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी मानते हुए उक्त विद्यार्थी को समग्र तथ्यों के आलोक में यह अवगत कराये जाने पर सहमति दी गयी कि उनके द्वारा वर्तमान में बी0ए0 पाठ्यक्रम में Environmental Studies के अनुत्तीर्ण पेपर की परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर इस प्रतिबन्ध के अधीन दिया जा सकता है कि वह सम्बन्धित प्रश्न—पत्र में उत्तीर्ण होने की ही दशा में वर्तमान तिथि से उत्तीर्ण घोषित होने पर मात्र स्नातक की अंक—तालिका एवं डिग्री उन्हें निर्गत की जायेगी, इससे पूर्व उन्हें स्नातक एवं इस विश्वविद्यालय में राजनीतिशास्त्र में परास्नातक स्तर की प्राप्त उपाधि को निरस्त कराया जायेगा, भविष्य में उक्त प्रकरण को अन्य किसी प्रकरण में दृष्टांत नहीं माना जायेगा। उक्त के साथ—साथ परीक्षा समिति द्वारा यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि स्नातक स्तर पर उक्त विषय की उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता हेतु कड़ाई से पालन किये जाने हेतु तत्काल नोटिफिकेशन निर्गत किया जाय तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रचलित किया जाय। उपरोक्त के पश्चात् परीक्षा समिति की 15वीं बैठक दिनाँक 07.03.2024 के अनुपालन आख्या में बिन्दु संख्या—02/15 में दिव्यांग विद्यार्थी श्री पंकज कुमार, बी0ए0 पाठ्यक्रम वर्ष 2018 के प्रकरण के संबंध में परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्देश भी प्रदान किए गए कि संबंधित छात्र को भी पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए तथा परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने पर स्नातक उपाधि भी निरस्त किए जाने संबंधी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही परीक्षा समिति द्वारा संबंधित छात्र द्वारा स्नातक एवं परास्नातक की उपाधि विश्वविद्यालय में जमा कराये जाने के निर्देश भी प्रदान किए गए।

(डॉ0 अमित कुमार राय)
परीक्षा नियंत्रक
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

तत्क्रम में दिव्यांग विद्यार्थी पंकज कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पर प्रकरण पर परीक्षा समिति की 14वीं बैठक में हुए निर्णय तथा विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र (2018 में स्नातक/बी0ए0 की डिग्री तथा परास्नातक की डिग्री 2021, के दृष्टिगत सहानुभूतिपूर्ण विचार करते हुए अग्रिम परीक्षा समिति में संशोधन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा श्री पंकज कुमार को बी0ए0 पाठ्यक्रम वर्ष 2018 के उपाधि प्राप्तकर्ता विद्यार्थी की पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने के संबंध में व्यापक विचार–विमर्श करते हुए निर्णय प्रदान किया गया कि चूंकि स्नातक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विषय एक वैकल्पिक अनिवार्य विषय है जिसका क्रेडिट शून्य है।

उक्त विषय की परीक्षा को मात्र उत्तीर्ण करना अनिवार्य है तथा उत्तीर्ण होने से अंकों/सी0जी0पी0ए0 पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः उक्त विद्यार्थी के भविष्यहित के दृष्टिगत छात्रहित में पर्यावरण अध्ययन विषय की परीक्षा (वाह्य एवं आंतरिक) सम्पन्न कराते हुए उत्तीर्ण होने की दशा में संशोधित अंक–तालिका निर्गत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त प्रकरण को अन्य किसी प्रकरण में दृष्टांत नहीं माना जायेगा।

4/16 **विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने की अधिकतम समय–सीमा में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् रहे ऐसे दिव्यांग एवं गैर दिव्यांग विद्यार्थी जिनके द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करने की निर्धारित समय–सीमा के उपरान्त वर्तमान तक संबंधित पाठ्यक्रम की आन्तरिक एवं लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्णता के कारण पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं किया जा सका है ऐसे विद्यार्थियों को व्यापक विद्यार्थी हित में (वर्ष 2021 तक आयोजित स्पेशल बैक पेपर में परीक्षा में प्रतिभाग कर चुके विद्यार्थियों को छोड़कर) निर्धारित अधिकतम समय–सीमा में छूट प्रदान करते हुए आगामी बैक पेपर परीक्षा में एक अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए प्रतिभाग कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

5/16 **अधिसत्र परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकायें मूल्यांकन के उपरान्त एवं परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने से पूर्व विद्यार्थियों को दिखाये जाने के सम्बन्ध में।**

निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित समस्त प्रकार की परीक्षाओं (लिखित/आन्तरिक) के मूल्यांकन के उपरान्त विश्वविद्यालय के ई0आर0पी0 पोर्टल पर अंको को ऑन–लाइन अपलोड करने से पूर्व उत्तर पुस्तिकाओं को संबंधित विद्यार्थियों को विभागीय स्तर पर विभागाध्यक्ष के पर्यवेक्षण में संबंधित विषय शिक्षक द्वारा दिखाये जाने तथा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं पर असंतोष व्यक्त करने वाले विद्यार्थियों के असंतोष का निस्तारण करते हुए Satistfied टीप अंकित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

6/16 **विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र/बैच–2022–23 एवं 2023–2024 के लिये सम्बद्ध नवीन स्वैच्छिक संस्थाओ/स्वैच्छिक संस्था में विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु माह जुलाई, 2024 में निर्गत सम्बद्धता आदेश के क्रम में परीक्षा आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में।**

परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र/बैच 2022–23 एवं 2023–2024 हेतु माह जुलाई, 2024 में विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु निर्गत सम्बद्धता आदेशानुसार नवीन स्वैच्छिक संस्थाओं/महाविद्यालयों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0 सं0	नवीन सम्बद्ध स्वैच्छिक संस्था का नाम	शैक्षणिक सत्र/बैच	सम्बद्धता प्रदत्त पाठ्यक्रम का नाम	विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सम्बद्धता आदेश पत्र का विवरण	आवंटित सीटों की संख्या	सम्बद्ध संस्था द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों की संख्या
1	2		3	4	5	6
01	नई सुबह संस्था, वाराणसी।	2022-23	M.Phil. (Cl.Psy.) *(New course)	पत्रांक 655 11.07.2024	10	10
02	मॉ बलिराजी सेवा संस्थान, मिर्जापुर।	2022-23	B.Ed.Spl.Ed. (H.I)	पत्रांक 645 11.07.2024	30	30
03	महर्षि दयानन्द रिहेबिलिटेशन इन्स्टीटयूट, रॉल, मथुरा।	2023-24	B.Ed.Spl.Ed. (H.I)	पत्रांक 652 11.07.2024	30	30

(डॉ0 अमित कुमार राय)
परीक्षा नियंत्रक
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

04	प्रकाश किरण एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन, कौशाम्बी।	2023-24	B.Ed.Spl.Ed. (H.I) & B.Ed.Spl.Ed. (V.I)	पत्रांक 656 11.07.2024	30 30	30 30
05	डॉ० आर०पी०एस० इन्स्टीटयूट ऑफ एजूकेशन, मैनपुरी।	2023-24	PGDRP	पत्रांक 653 11.07.2024	20	20
06	सोसाइटी फॉर इन्स्टीटयूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एण्ड हैल्थ, अमरोहा।	2023-24	B.Ed.Spl.Ed. (V.I)	पत्रांक 654 11.07.2024	30	30

निर्णयः—परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र बैच 2022–23 एवं 2023–2024 हेतु उपरोक्तानुसार माह जुलाई, 2024 में निर्गत सम्बद्धता आदेश के क्रम में सम्बद्ध नवीन स्वैच्छिक संस्थाओ द्वारा संचालित संगत पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु आवंटित सीटों के सापेक्ष प्रवेशित अभ्यर्थियों की संगत शैक्षणिक सत्र/बैच की परीक्षा प्रणाली व्यवस्थान्तर्गत आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए परीक्षायें आयोजित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

7/16 **विद्यार्थियों को अंक तालिका/उपाधि की द्वितीय प्रति उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित शुल्क के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में।**

परीक्षा समिति की 12वीं बैठक दिनांक 23.11.2019 के निर्गत कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–12/5 पर द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उनकी मूल अंकतालिका/उपाधि खो जाने की दशा में द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र, एफ0आई0आर0 से सम्बन्धित प्रपत्र एवं शपथ–पत्र (शपथ–पत्र इस आशय का कि यदि खोई हुई अंकतालिका/उपाधि की मूल प्रति वापस प्राप्त होने पर उसका गलत उपयोग किसी भी दशा में न करते हुए द्वितीय प्रति विश्वविद्यालय में वापस की जायेगी) प्राप्त करते हुए शुल्क के रूप में धनराशि रू0 1000/–निर्धारित करते हुए द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने पर निर्णय लिया गया था। तत्संबंधित प्रकरण में दिव्यांग उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उनकी मूल अंक–तालिका/उपाधि खो जाने की दशा में द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने हेत दृष्टिबाधित दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क तथा अन्य दिव्यांग विद्यार्थियों से निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत प्राप्त करते हुए द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः—परीक्षा समिति द्वारा समस्त अंक–तालिकाओं को डिजी लॉकर (Digi Locker) में रखने के निर्देश के साथ ही विद्यार्थियों की मूल अंक–तालिका/उपाधि खो जाने की दशा में द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र, एफ0आई0आर0 से सम्बन्धित प्रपत्र एवं शपथ–पत्र (शपथ–पत्र इस आशय का कि यदि खोई हुई अंकतालिका/उपाधि की मूल प्रति वापस प्राप्त होने पर उसका गलत उपयोग किसी भी दशा में न करते हुए द्वितीय प्रति विश्वविद्यालय में वापस की जायेगी) प्राप्त करते हुए शुल्क के रूप में गैर दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु धनराशि रू0 200/–, दृष्टिबाधित दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क एवं अन्य दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु धनराशि रू0 100/– (प्रति अंक–तालिका एवं उपाधि) निर्धारित करते हुए द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने तथा इसी प्रकार अंक–तालिका एवं उपाधि में संशोधन हेतु भी उक्त दरों के निर्धारण पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

8/16 **विभिन्न विभागों में संचालित पाठ्यक्रमों में साइन लेंग्वेज इण्टरप्रेटर उपलब्ध न होने के कारण श्रवणबाधित दिव्यांग विद्यार्थियों को बैक पेपर परीक्षा में अधिकतम 04 विषय में अनुत्तीर्ण की सीमा में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में संचालित पाठ्यक्रमों यथा–बी0एस0सी0 (सी0एस0 तथा आई0टी0) तथा बी0बी0ए0 में साइन लेंग्वेज इण्टरप्रेटर उपलब्ध न होने के कारण श्रवणबाधित दिव्यांग विद्यार्थियों क्रमशः आदित्य शाक्य एवं अमूल सिंह के संबधित सेमेस्टर में 04 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने के कारण सक्षम स्तर से प्रदत्त अनुमोदन के अनुपालन में बैक पेपर परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान की गई थी जिस पर परीक्षा समिति को संज्ञानित कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः—परीक्षा समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श करते हुए विभिन्न विभागों में संचालित पाठ्यक्रमों में साइन लेंग्वेज इण्टरप्रेटर उपलब्ध न होने के कारण श्रवणबाधित दिव्यांग विद्यार्थियों को बैक पेपर परीक्षा में अधिकतम 04 विषय में अनुत्तीर्ण की सीमा में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में यथापेक्षित औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि जब अभ्यर्थी

(डॉ० अमित कुमार राय)
परीक्षा नियंत्रक
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

	विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है, तो प्रत्येक विभाग/संकाय द्वारा विद्यार्थियों को ओरिएण्टेशन कार्यक्रम (Orientation Programme) के दौरान विश्वविद्यालय में प्रचलित विभिन्न प्रकार की नियमावलियों (विभागीय/परीक्षा/अनुशासन/छात्रावास इत्यादि) का एक फोल्डर विद्यार्थियों को अवश्य प्रदान किया जाए जिससे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की नियमावलियो के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी हो सके और वह उन नियमों के आलोक में अपनी पढ़ाई कर सकें। उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न विभागों में साइनलैग्वेज इण्टरप्रेटर की आवश्यकता/उपलब्धता के संबंध में अधिष्ठाता (शैक्षणिक) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कराते हुए साइनलैग्वेज इण्टरप्रेटर की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
9/16	**अन्य बिन्दु** 1. **NEP/ अन्य नियामक परिषदों के अनुसार Exam Evaluation Pattern के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः—परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में पाठ्क्रम उत्तीर्ण करने का प्रतिशत 40 है, जबकि अन्य जगहों पर यह 33 प्रतिशत है। विगत दिनों भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली (Rehabilitation Council of India) द्वारा निर्गत दिशा—निर्देश में इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। समिति के सदस्यों द्वारा आपत्ति व्यक्त करते हुए विचार किया गया कि विश्वविद्यालय की विशिष्ट प्रकृति के अनुसार अपनी आवश्यकताएं हैं तथा इसमें विशेष प्रकृति के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। विश्वविद्यालय में NEP के अनुसार लिखित 75 एवं आन्तरिक 25 अंकों का निर्धारित है। इस सम्बन्ध में अधिष्ठाता विशेष शिक्षा संकाय, एन0ई0पी0 को—आर्डिनेटर को सम्मिलित करते हुए एक समिति का गठन किया जाए, जिसमें एक श्रवणबाधित विद्यार्थी एवं एक मेद्यावी विद्यार्थी को भी सम्मिलित किया जाए, जिसमें NEP को—आर्डिनेटर सदस्य सचिव होंगे। यह समिति लिखित एवं आंतरिक परीक्षाओं के अंकों का निर्धारण, परीक्षाओं का पैटर्न तथा श्रवणबाधित विद्यार्थियों के लिये प्रश्न—पत्र का प्रारूप तथा अंकों का वितरण आदि पर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेंगे, जिस पर मा0 कुलपति महोदय से अनुमोदनोपरांत आगामी परीक्षा समिति में सूचनार्थ प्रस्तुत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
	उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई बिन्दु न होने के कारण उपरोक्तानुसार बैठक समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

(डॉ0 अमित कुमार राय)
परीक्षा नियंत्रक
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।